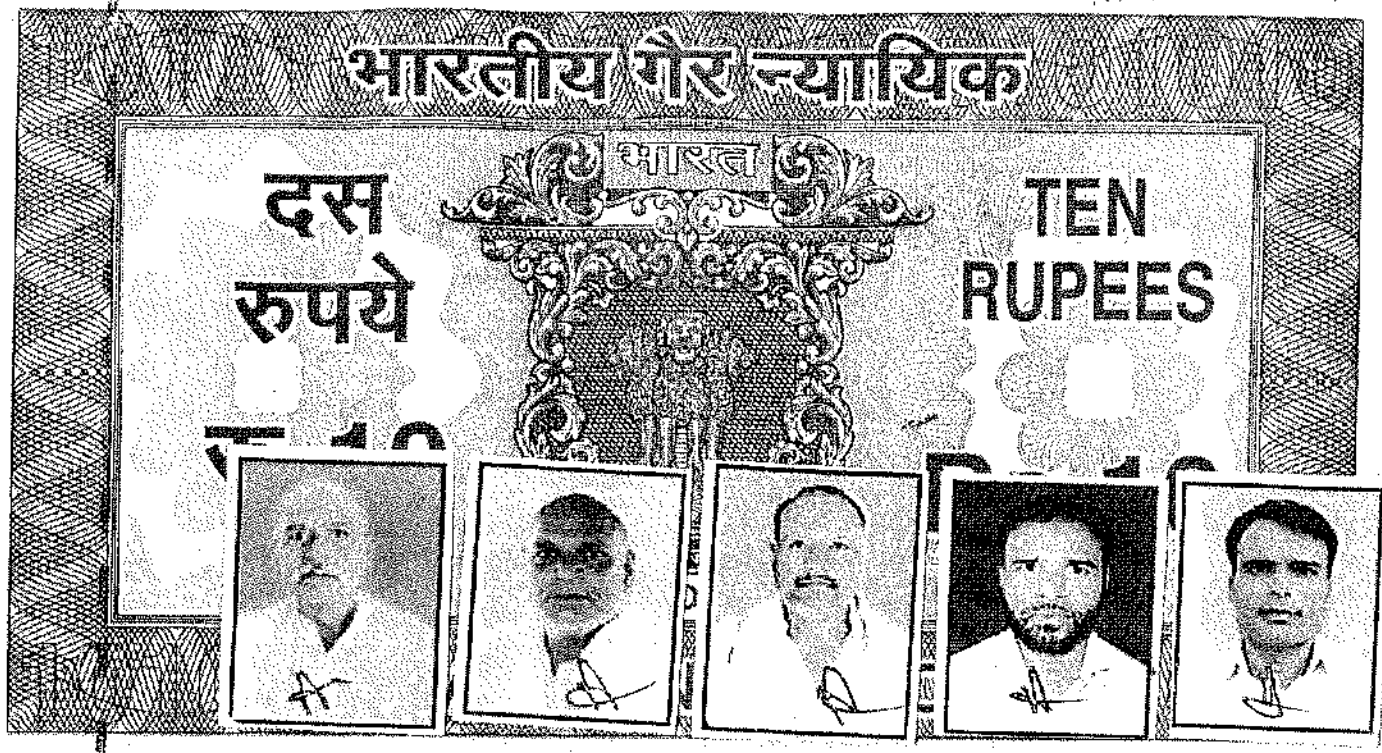


242

242
11489



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

48AB 320442

॥ जय माधव ॥

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण -

1. भूमि का प्रकार - कृषि भूमि
2. मौहल्ला/ग्राम - मौजा जैत
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्गमीटर) - हैक्टेयर
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति न.) - गाटा संख्या-734मि0 आदि
5. विक्रय सम्पत्ति का क्षेत्रफल- 8.363 हैक्टेयर में हिस्सा 4/5 भाग सम्पूर्ण अंश
6. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) - मुख्य व लिक मार्ग से दूर व खरंजा पर भी नहीं है
7. पेड़ों का मूल्यांकन - सम्मिलित हैं
8. बोरिंग/कुआ/अन्य - बोरिंग आदि सम्मिलित हैं
9. प्रतिफल की धनराशि 4,29,72,800/-रुपये, सरकारी रेट- 60,00,000/-रुपये हैक्टेयर जो पेज नम्बर 37 क्रमांक 52 पर दर्ज है, देय स्टाम्प- 100/-रुपये, कार्य क्षेत्र उपनिबन्धक प्रथम, मथुरा। विकास शुल्क के अन्दर, विक्रय पत्र का खर्चा खरीदार ने वहन किया

विजय सिंह हनुमान मोहन सिंह



नरेन्द्र सिंह

जीत सिंह

रमेश सिंह

कल्याण तो

Amach



[illegible]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

48AB 320443

(2)

है। जो शासनादेश संख्या 1736/आठ-1-2010-38 विविध/10 व अधिसूचना सं०-क०नि० -5/893/11-2010-500 (83)/2005 दिनांक 06.05.2010 से स्टाम्प मुक्त है। मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के उपाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है।

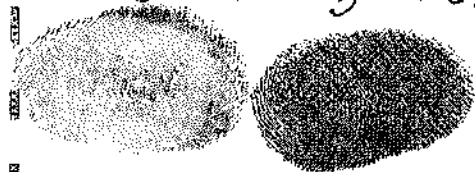
विक्रेता प्रथमपक्ष की संख्या (8)

1. विजेन्द्र सिंह व सुभाष सिंह व लोकमन सिंह पुत्रगण श्री भूरी सिंह व ऊवल सिंह व नरेन्द्र सिंह व भीम सिंह व रनवीर सिंह पुत्रगण श्री दिलवार सिंह व श्रीमती कलावती पत्नी श्री दिलावर सिंह निवासीगण- ग्राम जैत, तहसील व जिला मथुरा।

क्रेता द्वितीयपक्ष की संख्या (1)

1. मैसर्स सनसिटी हाईटेक प्रोजेक्ट्स प्रा०लि० रजिस्टर्ड कार्यालय एन-49 प्रथमतः, कनाट प्लेस, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री अशोक सिवाच पुत्र श्री बलबीर सिंह निवासी- एन-49 प्रथमतः, कनाट प्लेस, नई दिल्ली पेन नम्बर- ए ए जे सी एस 5668 क्यू

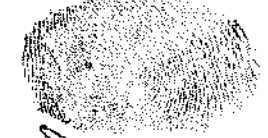
विजेन्द्र सिंह सुभाष



लोकमन सिंह



ऊवल सिंह



नरेन्द्र सिंह



भीम सिंह



रनवीर सिंह



कलावती



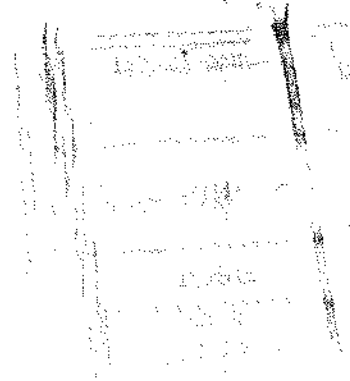
अशोक

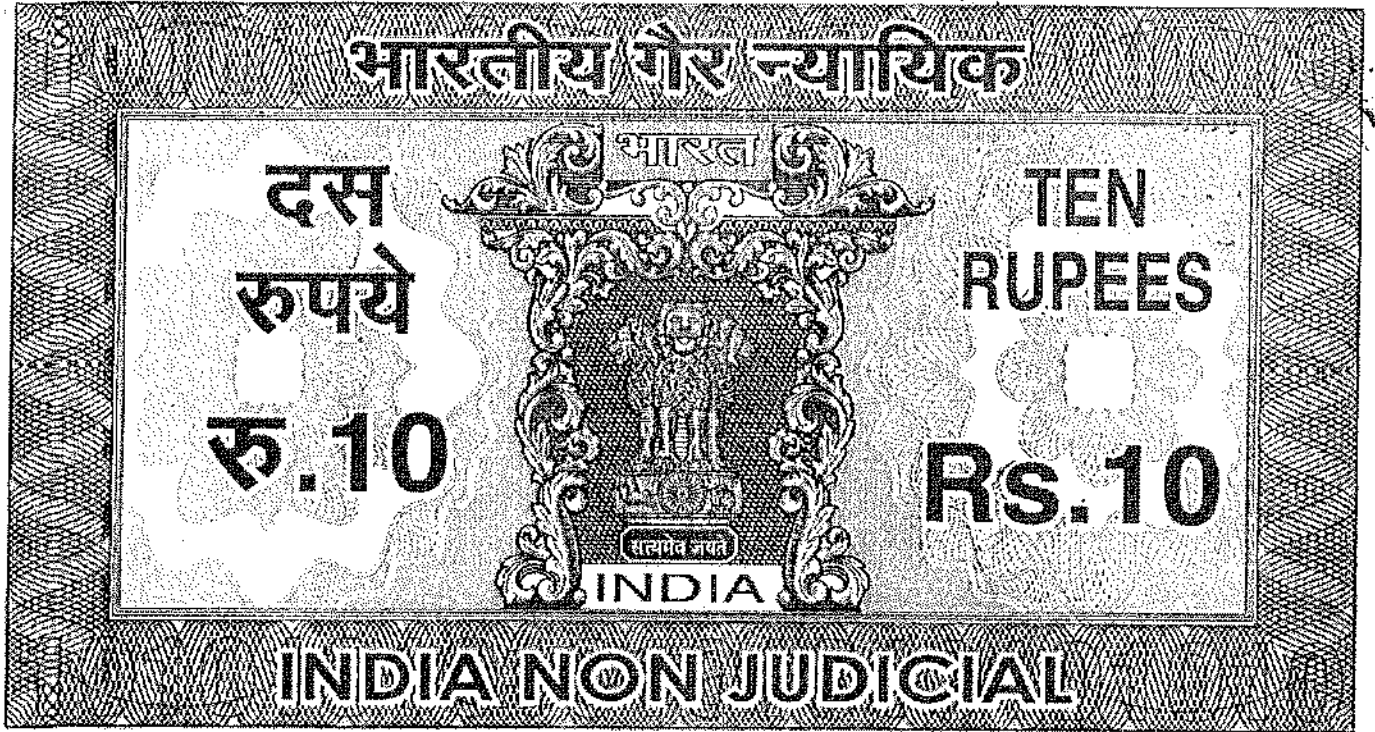


जनरल स्टाम्प
क्र.सं. ३७/२०००/२७ दिनांक २७-६-००
नाम ३० पुत्र श्री
सं.सं. ३० नि. ३०

27-6-00

मुकीम खाँ स्टाम्प विक्रेता ला.नं. २७
वर्ष २०००-२००१ रजिस्ट्री आफिस, ए.पी.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

48AB 320444

(3)

हमकि विजेन्द्र सिंह व सुभाष सिंह व लोकमन सिंह पुत्रगण श्री भूरी सिंह व ऊदल सिंह व नरेन्द्र सिंह व भीम सिंह व रनवीर सिंह पुत्रगण श्री दिलवार सिंह व श्रीमती कलावती पत्नी श्री दिलावर सिंह निवासीगण- ग्राम जैत, तहसील व जिला मथुरा।

.....विक्रेता प्रथमपक्ष

एवं मैसर्स सनसिटी हाईटेक प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० रजिस्टर्ड कार्यालय एन-49 प्रथमतल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री अशोक सिवाच पुत्र श्री बलवीर सिंह निवासी- एन-49 प्रथमतल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली

.....क्रेता द्वितीयपक्ष

पक्षकारगण इस लेखपत्र के हैं। जो कि आराजी भूमिधरी नकल आकार पत्र-23 के अनुसार चक क्रम संख्या 10 के प्रस्तावित चक गाटा संख्या 734 मि० रकवा 0.450 हैक्टेयर व गाटा संख्या 803/1 मि० रकवा 0.188 हैक्टेयर व गाटा संख्या 804 रकवा 1.784 हैक्टेयर व गाटा संख्या 805 मि० रकवा 5.721 हैक्टेयर व गाटा संख्या 807 मि० रकवा 0.220

विक्रेता सुभाष सिंह लोकमन सिंह ऊदल सिंह नरेन्द्र सिंह भीम सिंह रनवीर सिंह कलावती

अशोक सिवाच

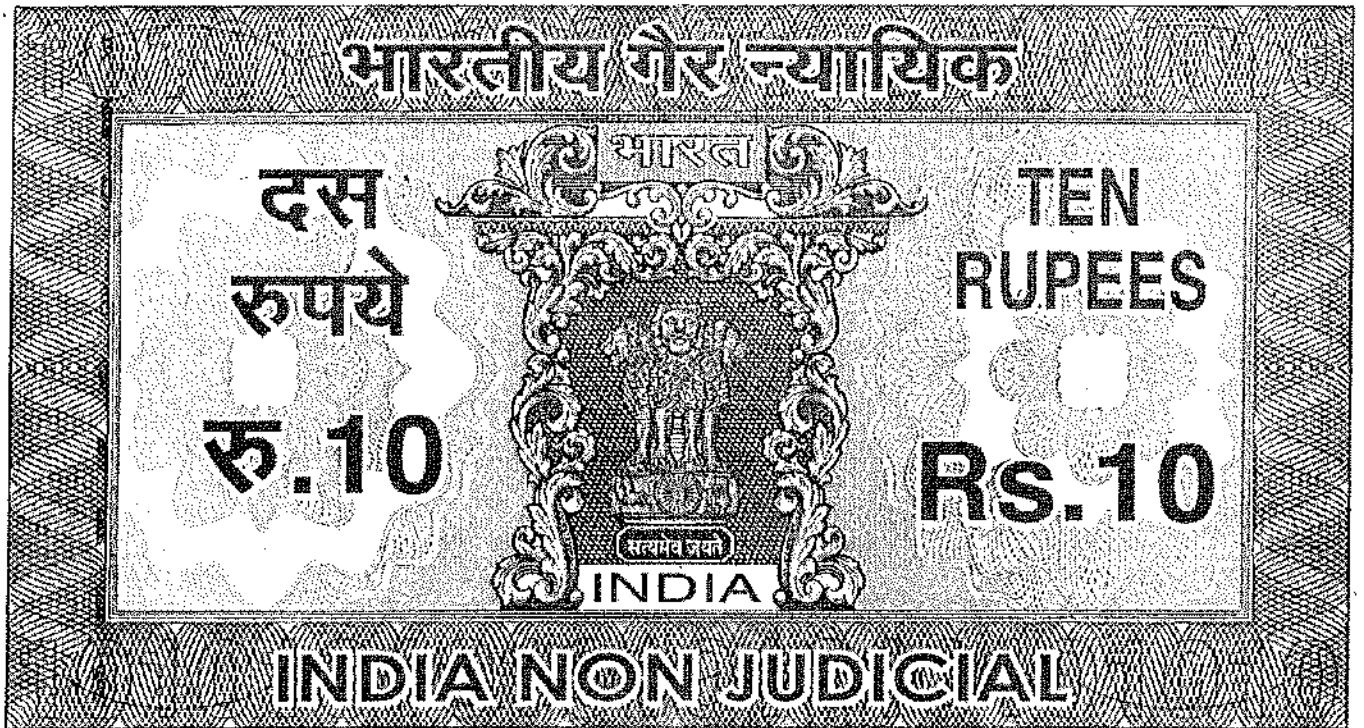
36
30

W/ 29.6.12

W

THE
1912





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

48AB 320445

{4}

हैक्टयर पांचकिता कुल रकवा 8.363 हैक्टयर लगानी 178.6। रुपये सालाना बाकै मौजा जैत, तहसील व जिला मथुरा में हिस्सा 4/5 भाग सम्पूर्ण अंश आराजी मिलकीयत व खानाकागजातमाल प्रथमपक्ष है। जिसके प्रथमपक्ष मालिक व संक्रमणीय भूमिधर है। जिस पर प्रथमपक्ष का कब्जा है। सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के उक्त आराजी का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है। और न किसी भी जगह रहन व गिरवी आदि है। और न किसी भी सरकारी, अर्द्धसरकारी, वितीय संस्था व बैंक आदि में बंधक है। और न ही किसी भी न्यायालय में जमानत में अटैच व कुर्क है। यानि उपरोक्त आराजी हर प्रकार के झगड़े-झंझट व कर्जे आदि से पाक साफ मिलकीयत प्रथमपक्ष है। तथा विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम दर्ज कागजात सरकारी है। यानि कि मालिक काबिज व दखील प्रथमपक्ष है। न विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी को बेचने का इकरारनामा किसी के हक में कर रखा है। तथा प्रथमपक्ष को उक्त आराजी की बाबत हर प्रकार के अधिकार मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के प्राप्त हैं। वर्तमान में हम विक्रेता प्रथमपक्ष को अपनी व अपने परिवार की जरूरतों हेतु रुपयों की सख्त आवश्यकता है। इसलिये हम विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त हिस्सा 4/5 भाग सम्पूर्ण अंश आराजी को बेच देना उचित समझा है।

किशोरी देवी शुभाष

मोहन सिंह

कुल सिंह



नरेश सिंह

जीम सिंह

सुनार सिंह

कल्याण तो

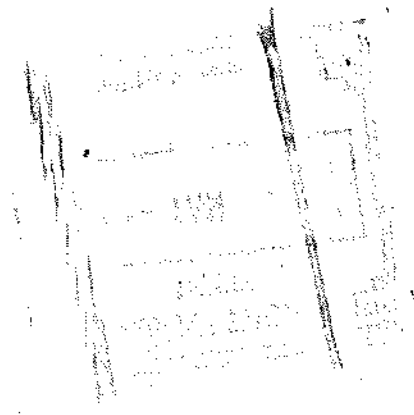
अमरच

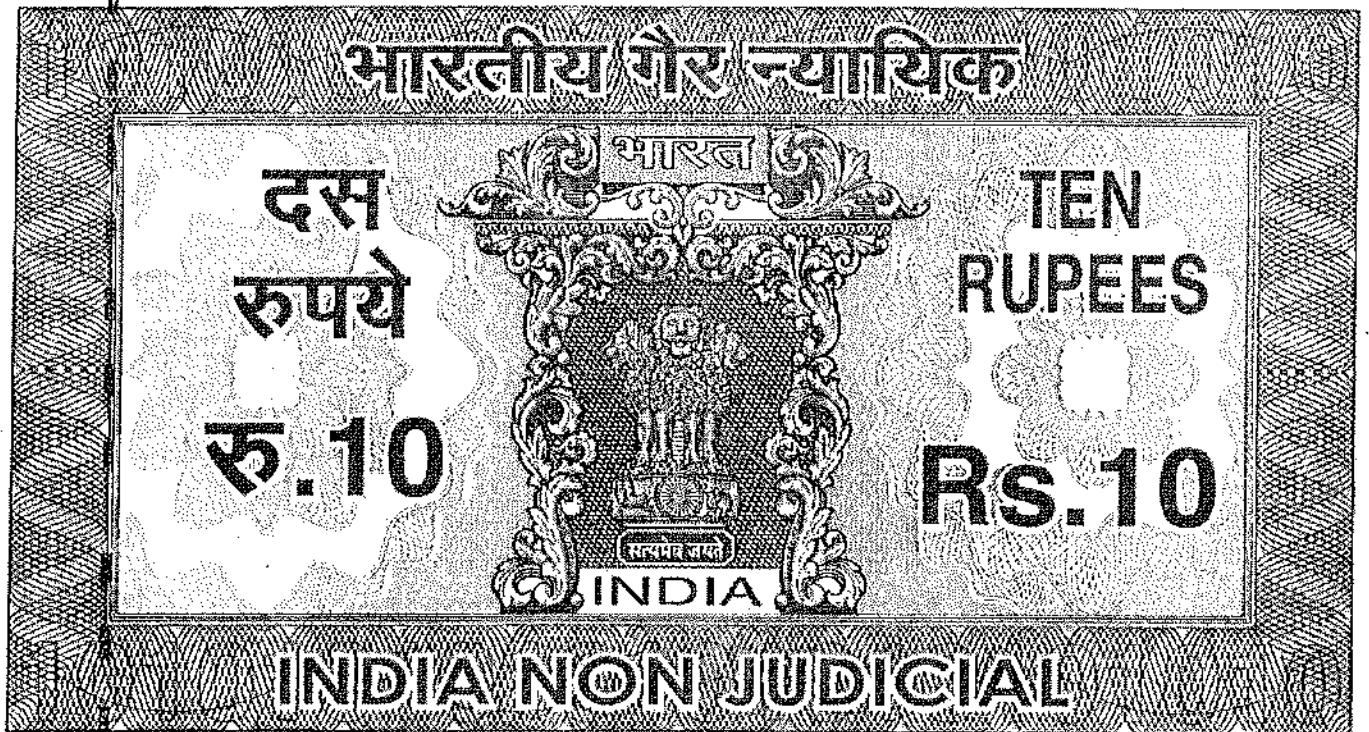


32
30

27-6-11

ly





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

48AB 320446

(5)

कीमत अच्छी मिल रही है। बेचने में लाभ है। चुनांचि अपनी उक्त हिस्सा 4/5 भाग सम्पूर्ण अंश आराजी को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त होते हों यानि कुल को बिला छोड़े आराजी के स्वामित्व अधिकार हित सम्भावित व निहित को बिलएवज मुबलिंग 4,29,72,800/- चार करोड़ उन्तीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ रुपये जिनके आधे 2,14,86,400/- दो करोड़ चौबह लाख छियासी हजार चार सौ रुपये होते हैं बवस्त मैसर्स सनसिटी हाईटेक प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय एन-49 प्रथमतल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री अशोक सिवाच पुत्र श्री बलबीर सिंह निवासी-एन-49 प्रथमतल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली क्रेता द्वितीयपक्ष को पूर्ण रुपेण विक्रय कर दिया और क्रेता द्वितीयपक्ष को मालिक, काबिज व दखील बना दिया और कीमत के कुल रुपये प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से नीचे लिखे अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल बेची गयी उक्त हिस्सा 4/5 भाग सम्पूर्ण अंश आराजी पर खरीदार कम्पनी का वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया आज की तारीख से खरीदार कम्पनी उक्त आराजी की पूरी मालिक हो गयी। अब वह

विजयेश कुमार

लोचन सिंह



नरेश सिंह

मीम सिंह

रमणीय सिंह

काला दल



क्रमांक 34/10/2012 दिनांक 27.6.12

पन्ना 1/2
दिनांक 27.6.12

विक्रय पत्र

42,972,800.00 / 42,973,000.00 10,000.00 20 10,020.00 1,000

पतिफल

मासिक

फीस रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

शब्द लगभग

श्री

विजेन्द्र सिंह

पुत्र श्री

भूरी सिंह

व्यवसाय कृषि

निवासी मथुरा

जैत मथुरा

अस्थायी पत्ता

जैत मथुरा

वे यह लेखपत्र इन कार्यालय में

दिनांक 27/6/2012

समय 4:00PM

यह निश्चयन हेतु पेश किया।

विजेन्द्र सिंह

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. यादव

उप-निबन्धक

निष्पादन लेखपत्र वाद गुनने व समझने भजन व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

मथुरा-प्रथम

मथुरा-प्रथम

विक्रेता

क्रेता

27/6/2012

श्री विजेन्द्र सिंह

पुत्र श्री भूरी सिंह

पेशा कृषि

निवासी जैत मथुरा

विजेन्द्र सिंह

श्री श्री सनसिटी हाईटेक प्रोप्रा0लि0 द्वारा अधि0

हस्ता0 अशोक सिवाय

पुत्र श्री बलवीर सिंह

पेशा व्यापार

निवासी एन 49 प्रथमतल कनाट प्लेस नई दिल्ली

श्री सुभाष सिंह

पुत्र श्री भूरी सिंह

पेशा कृषि

निवासी जैत मथुरा

सुभाष सिंह

श्री लोकमन सिंह

पुत्र श्री भूरी सिंह

पेशा कृषि

निवासी जैत मथुरा

लोकमन सिंह

श्री ऊदल सिंह

पुत्र श्री दिलावर सिंह

पेशा कृषि

निवासी जैत मथुरा

ऊदल सिंह

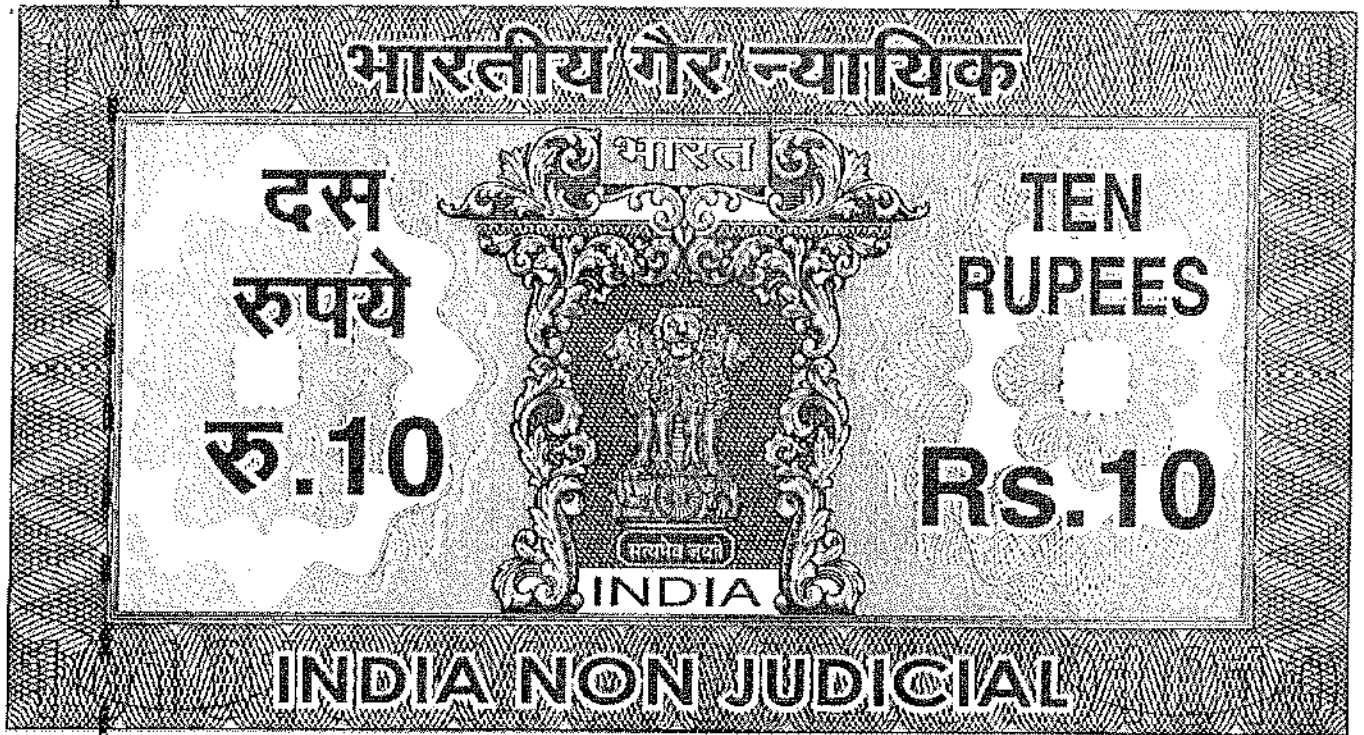
श्री नरेन्द्र सिंह

पुत्र श्री दिलावर सिंह

पेशा कृषि

निवासी जैत मथुरा

नरेन्द्र सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

48AB 320447

{6}

समस्त अधिकार मालिकाना, हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावें और खुद जो चाहें सो करें, अब विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसों का उक्त बेची गयी आराजी भूमिधरी में कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा और न आयन्दा होगा। अगर कभी कोई व्यक्ति उक्त बेची गयी आराजी भूमिधरी के सम्बन्ध में वावा या झगड़ा उत्पन्न करें और जुज या कुल कब्जा आराजी भूमिधरी खरीदार से निकल जावे या किसी प्रकार का ऋण, लोन, बैंक में बंधक आदि निकले या न्यायालय में जमानत में पायी जावे या अटैच या कुर्क आदि निकलें तो विक्रेता प्रथमपक्ष की हर प्रकार की पूरी जिम्मेदारी होगी। खरीदार अपनी कीमत का दिया गया रूपया मय हर्जा-खर्चा व लागत व अदा व खर्च किये गये रूपयों को मय सूद ब्याज के विक्रेता प्रथमपक्ष व

विक्रेता

शुभाष

लोचन

करमसिंह



नरेन्द्र सिंह

जीयसिंह

स्वर्णरसिंह

क बाबतौ



Swach



क्रमांक ३४ दिनांक २७.६.१२
पृष्ठ ३०

पुष्पिका खां २७
वर्ष २०००-२००१ रजिस्ट्री अभिलेख, मथुरा

श्री मीम सिंह

श्री मीम सिंह
पुत्र श्री दिलावर सिंह
पेशा कृषि
निवासी जैत मथुरा

श्री रजवीर सिंह
पुत्र श्री दिलावर सिंह
पेशा कृषि
निवासी जैत मथुरा

श्रीमती कलावती
पत्नी श्री दिलावर सिंह
पेशा गृहिणी
निवासी जैत मथुरा

ने निष्पादन स्वीकार किया।
मिनकी पहचान श्री जितेन्द्र मित्तल
पुत्र श्री हरिशचन्द्र मित्तल
पेशा व्यापार

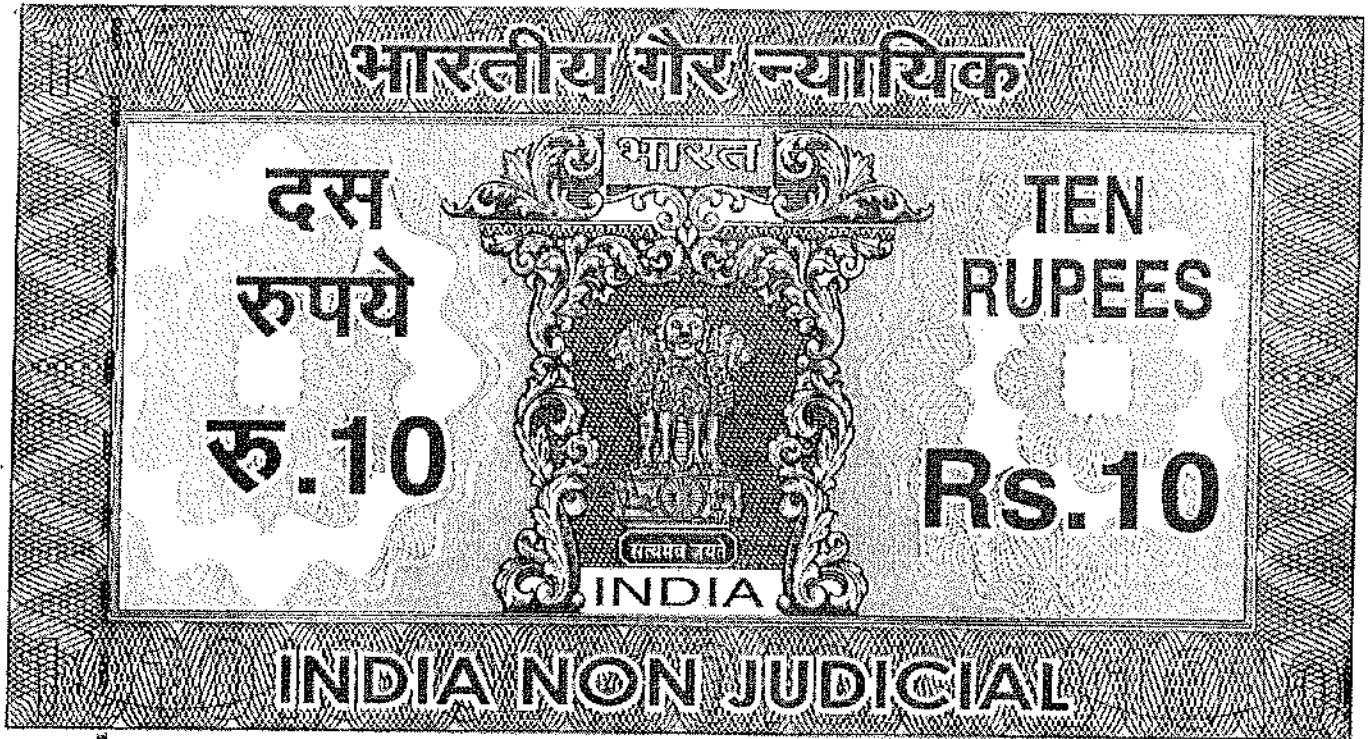
निवासी सदर बाजार मथुरा
श्री राजीव अग्रवाल
पुत्र श्री रामनिवास अग्रवाल
पेशा व्यापार
निवासी तिलकद्वार मथुरा

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र गांधियों के निशान अंगुलि नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

२७/६/१२
पी. के. यादव
उप-निबन्धक
मथुरा-प्रथम
२७/६/२०१२



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

48AB 320448

(7)

उसकी हर प्रकार की चल-अचल सम्पत्ति से बाजाय्ता बजरिये अदालत वसूल कर ले। इसमें प्रथमपक्ष व वारिसान प्रथमपक्ष को कुछ भी उज न होगा। विक्रय आराजी दो फसली है। विक्रय आराजी सिंचित है। आस-पास कृषि कार्य हो रहा है। खरीदार अपने नाम का दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करा लें प्रथमपक्ष विक्रेता रजामन्दी देता है, प्रथमपक्ष व वारिसान प्रथमपक्ष कोई एतराज नहीं करेंगे। बेची गयी आराजी का संलग्न नक्शों में रंग लाल दिखाया गया है। उक्त आराजी में कोई पेड़, बोरिंग, कुआ आदि नहीं है। क्रेता-विक्रेता अनुसूचित

विक्रेता सुभाष

नौजाम रहे

कदम सिंह



नरेन्द्र सिंह

जीत सिंह

रजवार सिंह

कलावे लो



Aswath



जनरल स्टाम्प

क्रमांक 36... 27.6.12
नाम श्री...
मो.सं. 30...

पुकीम खाँ स्टाम्प विक्रेता ला० नं० 27
वर्ष 2020-2001 रजिस्ट्री अफिस, मथुरा

विक्रेता

Registration No.: 10494

Year : 2,012

Book No. : 1

0101 विजेन्द्र सिंह

भूरी सिंह
जैत मथुरा
कृषि



0102 सुभाष सिंह

भूरी सिंह
जैत मथुरा
कृषि



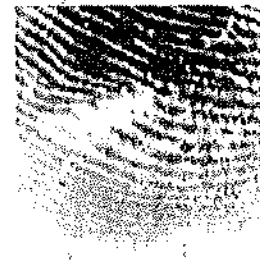
0103 लोकमन सिंह

भूरी सिंह
जैत मथुरा
कृषि



0104 ऊदल सिंह

दिलावर सिंह
जैत मथुरा
कृषि



0105 नरेन्द्र सिंह

दिलावर सिंह
जैत मथुरा
कृषि





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

48AB 320449

(8)

जाति के सदस्य नहीं है। अतः यह बैनामा अपनी राजी व खुशी से दोनों पक्षों ने पढ़कर व सुनकर व समझकर लिख दिया है कि सनद रहे और समय पर काम आवे। उक्त प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार गवाहों के समक्ष पढ़ाकर व सुनाकर ड्राफ्ट व टाइप किया गया है। तथा गवाहान व खरीदार की शिनाख्त के आधार पर फोटो प्रमाणित किये गये हैं। तथा प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के पहचान पत्र प्रलेख के साथ संलग्न है। विवरण मूल्य के प्राप्ति रूपयों का - पूर्ण प्रतिफल 4,29,72,800/-रूपये में से 10,09,861/-रूपये बजरिये बैंक संख्या 595076 व 10,09,861/-रूपये बजरिये बैंक संख्या 595077 व 10,09,861/-रूपये बजरिये बैंक संख्या 595078 व 2,01,972/-रूपये बजरिये बैंक संख्या 595081 व 2,01,972/-रूपये बजरिये बैंक संख्या 595082 व 2,01,972/-रूपये बजरिये बैंक संख्या 595083 व 2,01,972/-रूपये बजरिये बैंक संख्या 595084 व 2,01,972/-रूपये बजरिये बैंक संख्या 595085 सभी दिनांक 05.06.2012 व 16,75,939/- रूपये बजरिये बैंक संख्या 595086 व 16,75,939/-रूपये बजरिये

विशेषज्ञ



जोयन्त



कामगार



नरेश्वर



नजीम



सुनील



के लाल



के लाल



The image is a severely degraded scan of a document. It contains a list of approximately 10-12 lines of text in the center, which is completely illegible due to the high contrast and noise. The text appears to be a series of short phrases or items. The left side of the page has a dark vertical strip, and the right side has some dark, irregular shapes that might be part of the original document or the scan process.

विक्रेता

Book No. : 1

1. The first step in the process of the investigation is the identification of the problem. This is done by the investigator, who is usually a member of the research team. The investigator must first identify the problem, then determine the scope of the problem, and then determine the objectives of the investigation.

2. The second step in the process of the investigation is the design of the study. This is done by the investigator, who is usually a member of the research team. The investigator must first identify the problem, then determine the scope of the problem, and then determine the objectives of the investigation.

3. The third step in the process of the investigation is the collection of data. This is done by the investigator, who is usually a member of the research team. The investigator must first identify the problem, then determine the scope of the problem, and then determine the objectives of the investigation.

4. The fourth step in the process of the investigation is the analysis of the data. This is done by the investigator, who is usually a member of the research team. The investigator must first identify the problem, then determine the scope of the problem, and then determine the objectives of the investigation.

5. The fifth step in the process of the investigation is the interpretation of the results. This is done by the investigator, who is usually a member of the research team. The investigator must first identify the problem, then determine the scope of the problem, and then determine the objectives of the investigation.

6. The sixth step in the process of the investigation is the reporting of the results. This is done by the investigator, who is usually a member of the research team. The investigator must first identify the problem, then determine the scope of the problem, and then determine the objectives of the investigation.

7. The seventh step in the process of the investigation is the evaluation of the results. This is done by the investigator, who is usually a member of the research team. The investigator must first identify the problem, then determine the scope of the problem, and then determine the objectives of the investigation.

8. The eighth step in the process of the investigation is the dissemination of the results. This is done by the investigator, who is usually a member of the research team. The investigator must first identify the problem, then determine the scope of the problem, and then determine the objectives of the investigation.

9. The ninth step in the process of the investigation is the conclusion of the investigation. This is done by the investigator, who is usually a member of the research team. The investigator must first identify the problem, then determine the scope of the problem, and then determine the objectives of the investigation.

10. The tenth step in the process of the investigation is the final report. This is done by the investigator, who is usually a member of the research team. The investigator must first identify the problem, then determine the scope of the problem, and then determine the objectives of the investigation.

A high-contrast, black and white image showing a dense, textured surface. The texture is composed of numerous small, dark, rectangular elements arranged in a grid-like pattern, creating a complex, woven appearance. The overall effect is one of a highly detailed, possibly woven material like a book cover or a piece of fabric.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

48AB 320450

(9)

चैक संख्या 595087 व 16,75,939/- रुपये बजरिये चैक संख्या 595088 व 3,35,188/-रुपये बजरिये चैक संख्या 595090 व 3,35,188/-रुपये बजरिये चैक संख्या 595091 व 3,35,188/-रुपये बजरिये चैक संख्या 595092 व 3,35,188/-रुपये बजरिये चैक संख्या 595093 व 3,35,188/-रुपये बजरिये चैक संख्या 595094 सभी दिनांक 25.05.2012 व 80,57,400/-रुपये बजरिये चैक संख्या 595097 व 80,57,400/-रुपये बजरिये चैक संख्या 595098 व 80,57,400/-रुपये बजरिये चैक संख्या 595099 व 16,11,480/-रुपये बजरिये चैक संख्या 595101 व 16,11,480/-रुपये बजरिये चैक संख्या 595102 व 16,11,480/-रुपये बजरिये चैक संख्या 595103 व 16,11,480/-रुपये बजरिये चैक संख्या 595104 व 16,11,480/-रुपये बजरिये चैक संख्या 595105 सभी दिनांक 25.09.2012 सभी एच.डी.एफ.सी. बैंक नई दिल्ली शाखा, इस प्रकार हम प्रथमपक्ष

विशेष दस्तावेज

लोकमत फाइल

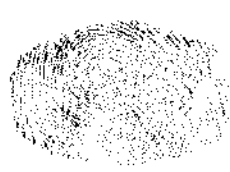


नंदलाल

मीनसिंह

रुणीरसिंह

कलावती



Brach



क्रमांक: 30 दिनांक: 27-6-12
पृष्ठ: 30

पुस्तक की प्रतिलिपि 27
वर्ष 2012-2013 के लिए अतिरिक्त, प्रयुक्त

क्रेता

Registration No. : 10494

Year : 2012

Book No. : 1

0201 मे0 सनसिटी हाईटेक प्रो0प्रा0लि0 द्वारा अधि0 हस्ता0 अशोक f
गलगीर सिंह
एन 49 प्रयागताल कनाट प्लेस नई दिल्ली
व्यापार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

48AB 320451

{10}

ने खरीदार कम्पनी से पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर लिया है। अब हम प्रथमपक्ष का खरीदार कम्पनी पर कुछ भी शेष नहीं है। नोट- स्टाम्प शुल्क से छूट सम्बन्धी प्रमाण पत्र और उपस्थित मथुरा, इन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा पत्र सं. 739(2)/प्र. 50 दि. 12-13 दिनांक 21-6-12 को जारी किया गया है, विलेख के साथ संलग्न है।

दिनांक - 27.06.2012 ई०

कम्प्यूटराइज्ड किया- आर०के०

ड्राफ्ट किया- गजेन्द्र यादव एडवोकेट, मथुरा।

किशोरी यादव लोक गनरिस्ट राजेश कुमार



गजेन्द्र यादव

जी. यादव

राजेश कुमार

रा. यादव



(हस्ताक्षर)

जिरेन्द्र प्रसाद यादव श्री हरि प्रसाद यादव नि. सद. बाजार मथुरा

राजीव यादव श्री रामनिवास यादव नि. सद. बाजार मथुरा

Handwritten notes on the left margin, including 'Direct Appraisal' and other illegible text.

जनरल स्टाम्प

क्रमांक 227 दिनांक 27-6-12
पाम 220
संमं 220

मुक्तिस खाँ स्टाम्प विक्रेता नं० 27
वर्ष 2000-2001 रजिस्ट्री आधिकार, मथुरा

आज दिनांक 27/06/2012 को
वही में 1 जिल्द सं 8544
पृष्ठ सं 81 से 92 पर क्रमांक 10494
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. यादव
उप-निबन्धक
मथुरा-प्रथम
27/6/2012